फार्म – ए

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण। **उपस्थिति–रवि रंजन, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।** **(निर्णय की तिथि – 19.03.2026)** **सत्रवाद संख्या – 510 / 2022** **कम्प्यूटर पंजीयन संख्या – 182 / 2022** **(बगहा पटखौली थाना कांड संख्या – 544 / 2018 से उद्भूत)**	
सूचक	सत्येन्द्र कुमार, पिता–स्व. अवधेश प्रसाद गुप्ता, साकिन–रामधाम मंदिर (बगहा बाजार), थाना–बगहा, जिला–पश्चिम चम्पारण।
अभियोजन की ओर से	श्री प्रभु प्रसाद, विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	(1) अमरेन्द्र कुमार जयसवाल, पिता–स्व. नथुनी प्रसाद जयसवाल, अनुमानित उम्र–40 वर्ष, (2) जितेन्द्र कुमार जयसवाल, पिता–स्व. नथुनी प्रसाद जयसवाल, अनुमानित उम्र–50 वर्ष, (3) गुड़िया देवी, पति–जितेन्द्र जयसवाल, अनुमानित उम्र–40 वर्ष, (4) भगवती देवी उर्फ भागीरनी देवी, पति–स्व. नथुनी प्रसाद जयसवाल, अनुमानित उम्र–50 वर्ष, सभी साकिनान–पटखौली, थाना–बगहा (पटखौली), जिला–पश्चिम चम्पारण।
अभियुक्तगण की ओर से	श्री शिव कुमार राव, विद्वान अधिवक्ता

फार्म – बी

घटना की तिथि	11.11.2018
प्राथमिकी की तिथि	12.11.2018
आरोप–पत्र की तिथि	30.07.2019
आरोप गठन की तिथि	22.11.2022
साक्ष्य प्रारम्भ की तिथि	04.05.2023
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	12.03.2026
निर्णय की तिथि	19.03.2026
सजा आदेश की तिथि, अगर हो तो	.....

अभियुक्तगण का विवरण

क्र.सं.	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि**	**जमानत पर मुक्त होने की तिथि**	**आरोप अन्तर्गत धारा**	**दोषी / दोषमुक्त**	**आरोपित सजा**	**धारा 428 दं. प्र.सं. के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गई निरोध की अवधि**
1.	अमरेन्द्र कुमार जयसवाल	13.11.2018	28.02.2019	304बी, 302, 34 भा.दं.वि.	दोषमुक्त	.....	.....
2.	जितेन्द्र कुमार	13.05.2019	13.05.2019	उक्त	दोषमुक्त	.....	.....

	जयसवाल						
3.	गुड़िया देवी	13.05.2019	13.05.2019	उक्त	दोषमुक्त	.....	.....
4.	भगवती देवी उर्फ भागीरनी देवी	13.05.2019	13.05.2019	उक्त	दोषमुक्त	.....	.....

–:निर्णयः–

1. प्रस्तुत प्रकरण में कुल चार अभियुक्तों अमरेन्द्र कुमार जयसवाल, जितेन्द्र कुमार जयसवाल, गुड़िया देवी और भगवती देवी उर्फ भागीरनी देवी का विचारण धारा 304बी, 302, 34 भा.दं.वि. के आरोप हेतु किया जा रहा है।
2. प्रस्तुत प्रकरण के सूचक सत्येन्द्र कुमार द्वारा बगहा थानाध्यक्ष के समक्ष दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर संस्थित इस काण्ड का अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक की बहन ज्योति देवी की शादी वर्ष 2014 में अमरेन्द्र कुमार जयसवाल के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही उसके पति एवं ससुराल वाले मिलकर उसकी बहन से दहेज के रूप में मोटरसाईकिल की मांग करते थे तथा दहेज के लिए मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। सूचक की बहन को अमरेन्द्र कुमार जयसवाल, भगवती देवी, अखिलेश प्रसाद जयसवाल, जितेन्द्र कुमार जयसवाल, गुड़िया देवी, अखिलेश प्रसाद की पत्नी मिलकर एक राय एवं साजिश के तहत मिलकर दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे जिससे तंग आकर ज्योति देवी ने बगहा न्यायालय में परिवाद–01 / 16 दाखिल किया था। उस केस में न्यायालय से बंधपत्र पाकर सभी अभियुक्तगण ने सूचक की बहन को प्रताड़ित नहीं करने का आश्वासन दिया लेकिन पुनः अभियुक्तगण उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 11.11.2018 को सूचक को सूचना प्राप्त हुआ कि उपरोक्त सभी लोग मिलकर दहेज के लिए सूचक की बहन ज्योति देवी की हत्या कर दिये हैं। उस सूचना पर वह अपनी बहन के ससुराल गया तो देखा कि उसकी बहन एवं उसके ससुराल वाले घर पर नहीं हैं। अगले दिन सुबह 05 बजे सूचक अपनी बहन ज्योति देवी को खोजते हुये फिर उसके ससुराल गया तो देखा कि उसकी बहन को उपरोक्त सभी लोग मिलकर दहेज के लिए हत्या कर दिये हैं तथा साक्ष्य मिटाने के लिए लाश को जलाने के प्रयास में हैं।
3. सूचक द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर बगहा पटखौली थाना कांड संख्या–544 / 18 दिनांक 12.11.2018, सभी छः अभियुक्तगण अमरेन्द्र कुमार जयसवाल, भगवती देवी, अखिलेश प्रसाद जयसवाल, जितेन्द्र कुमार जयसवाल, गुड़िया देवी, अखिलेश प्रसाद की पत्नी के विरूद्ध धारा 304बी, 34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र संख्या–267 / 2019 दिनांक 30.07.2019, अभियुक्तगण अमरेन्द्र कुमार जयसवाल, भगवती देवी, जितेन्द्र कुमार जयसवाल और गुड़िया देवी के विरूद्ध धारा 304बी, 34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत अभियुक्तगण अखिलेश प्रसाद जयसवाल एवं मुन्नी देवी को अनुत्प्रेषित दिखाते हुये समर्पित किया गया जिसके आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

दिनांक 25.10.2021 को घटना का संज्ञान लिया गया। दिनांक 25.07.2022 को चारों अभियुक्तगण अमरेन्द्र कुमार जयसवाल, भगवती देवी, जितेन्द्र कुमार जयसवाल और गुड़िया देवी का वाद दौरा सुपूर्द कर सत्र न्यायालय भेजा गया। स्थानांतरण पश्चात् यह वाद इस न्यायालय को निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

4. दिनांक 22.11.2022 को चारों अभियुक्तगण अमरेन्द्र कुमार जयसवाल, जितेन्द्र कुमार जयसवाल, गुड़िया देवी और भगवती देवी उर्फ भागीरनी देवी के विरूद्ध धारा 304बी, 302, 34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा उनपर लगाये गये आरोप की सत्यता से इंकार करते हुए विचारण की मॉग की गयी।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के पश्चात् दिनांक 21.02.2026 को चारों अभियुक्तों का बयान धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया।

6. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्ति–युक्त ढ़ंग से संदेहों से परे साक्ष्य द्वारा साबित करने में सफल हुआ है अथवा नहीं ?

<u>–:मन्तव्य:–</u>

7. अभिलेख का सूक्ष्मता से परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल पॉच साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें अ0सा0–1 सत्येन्द्र कुमार (सूचक), अ0सा0–2 गीता देवी उर्फ जीतन मुस्मात, अ0सा0–3 मुन्ना राम, अ0सा0–4 अजय कुमार गुप्ता उर्फ अजय कुमार प्रसाद एवं अ0सा0–5 मो0 मुस्ताक हैं। अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अ0सा0–1 के पचान पर लिखित आवेदन पर उसके हस्ताक्षर को पी.ई.एक्स. 1 चिन्हित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिरक्षा की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. *अभियोजन साक्षी संख्या–1 सत्येन्द्र कुमार जो इस प्रकरण के सूचक* हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि ज्योति कुमारी मेरी बहन थी जिसकी शादी सन् 2014 में अमरेन्द्र प्रसाद जयसवाल के साथ हुई थी। घटना सन् 2018 की है। सुबह का समय था। मुझे अमरेन्द्र प्रसाद जयसवान फोन करके बताये कि मेरी बहन की मृत्यु हो गयी है। उक्त सूचना पर मैं अपनी बहन के ससुराल गया तो देखा कि मेरी बहन ससुराल में मृत पड़ी है। मैं अपनी बहन की मृत्यु संबंधी लिखित आवेदन थाने पर लिखवाकर दिया था, जिसपर मैंने अपना हस्ताक्षर किया था, मैं अपने हस्ताक्षर (पी.ई.एक्स. 1) की पहचान करता हूॅ। उक्त साक्षी को न्यायालय द्वारा अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त साक्षी ने प्रतिरक्षा पक्ष के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि लिखित आवेदन

किसने लिखा था, मुझे याद नहीं है। आवेदन लिखने वाले ने आवेदन पढ़कर मुझे नहीं सुनाया था न ही मैंने आवेदन पढ़ा था। मेरी बहन को खून की कमी रहती थी, उसके शरीर में खून नहीं बन पाता था और खून की कमी से वह बीमार रहती है। उसके ससुराल के लोग मेरी बहन को बीमारी का ईलाज के लिए हरनाटांड, बेतिया व गोरखपुर ले गये थे परन्तु वह ठीक नहीं हो रही है। मैं भी उसके साथ ईलाज के लिए गया था। अंतिम बार मेरी बहन का ईलाज गोरखपुर में हुआ था। मेरी बहन का ईलाज के क्रम में मुझे सूचना मिली कि मेरी बहन की मृत्यु हो गयी है, मृत्यु की जानकारी मैंने अपनी मॉ को भी दिया था। मेरी बहन ज्योति कुमारी को उसके पति तथा ससुराल के लोग ठीक ढंग से रखते थे, कभी प्रताड़ित नहीं करते थे तथा मेरी बहन हमलोगों से अपने पति व ससुराल वालों का शिकायत कभी नहीं की थी। मेरी बहन के दाह–संस्कार में अभियुक्तगण के साथ मैं तथा मेरे परिवार के सदस्य भी शामिल रहे थे।

9. *अभियोजन साक्षी संख्या–2 गीता देवी उर्फ जीतन मुस्मात हैं,* ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि ज्योति देवी मेरी बेटी थी। उसकी शादी अमरेन्द्र प्रसाद जयसवाल से हुई थी। शादी के बाद बीमारी से उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त साक्षी को न्यायालय द्वारा अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त साक्षी ने प्रतिरक्षा पक्ष के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मेरी बेटी का ईलाज हरनाटांड एवं बेतिया, गोरखपुर में ससुराल वाले कराते थे। ईलाज के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गयी।

10. *अभियोजन साक्षी संख्या–3 मुन्ना राम* हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मृतिका ज्योति देवी का ईलाज कराने के लिए गाड़ी पर बैठकर मैं भी उनके साथ अस्पताल गया था। ज्योति देवी को टी.बी. की बीमारी थी।

    उक्त साक्षी का बचाव पक्ष के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में कथन है कि मेरे साथ अस्पताल जाने में ज्योति का भाई सत्येन्द्र कुमार और उसके परिवार के लोग गये थे। ज्योति देवी को बहुत समय से टी.बी. की बीमारी थी। ज्योति देवी के पति और उसके मायके वाले ज्योति देवी का कई बार ईलाज कराये थे फिर भी वह ठीक नहीं हुई थी। मृत्यु से पहले भी मैं कई बार ज्योति देवी को ईलाज कराने बगहा सरकारी अस्पताल ले गया था।

11. *अभियोजन साक्षी संख्या–4 अजय कुमार गुप्ता उर्फ अजय कुमार प्रसाद हैं,* ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय मैं बाहर मजदूरी करने गया था। घर आया तो सुना कि ज्योति देवी का ईलाज कराने के दौरान मृत्यु हो गया था।

    उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि ज्योति देवी को टी.बी. की बीमारी थी तथा उसका ईलाज काफी दिनों से चल रहा था। उसके मायके और ससुराल वाले मिलकर उसका ईलाज करा रहे थे।

12. *अभियोजन साक्षी संख्या–5 मो0 मुस्ताक हैं,* ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। उक्त साक्षी को न्यायालय द्वारा अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

तत्पश्चात् उक्त साक्षी ने प्रतिरक्षा पक्ष के समक्ष अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मेरे घर से बगहा थाना की दूरी करीब 06 किमी. है।

13. उभय पक्षों का सम्पूर्ण बहस सुना एवं साक्षियों के साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया। प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस में कथन है कि अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे उसे दोषसिद्ध किया जा सके। अतः विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा औपचारिक बहस किया गया।

14. उभय पक्षों का बहस सुनने पश्चात् एक बार पुनः अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा सूचक सहित कुल पॉच साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया है जिसमें से सूचक (अ0सा0–1) जो मृतिका का भाई हैं, ने मृतिका के मृत्यु के सम्बन्ध में अपने साक्ष्य के पैरा–6 में यह कथन किया है कि मेरी बहन को खून की कमी रहती थी, उसके शरीर में खून नहीं बन पाता था और खून की कमी से वह बीमार रहती है। उसके ससुराल के लोग मेरी बहन को बीमारी के ईलाज के लिए हरनाटांड, बेतिया व गोरखपुर ले गये थे परन्तु वह ठीक नहीं हो रही है। मैं भी उसके साथ ईलाज के लिए गया था। अंतिम बार मेरी बहन का ईलाज गोरखपुर में हुआ था। मेरी बहन का ईलाज के क्रम में मुझे सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गयी है तो मृत्यु की जानकारी मैं अपनी मॉ को भी दिया था। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के पैरा–7 में यह कथन किया है कि मेरी बहन ज्योति कुमारी को उसके पति तथा ससुराल के लोग ठीक ढंग से रखते थे, कभी प्रताड़ित नहीं करते थे तथा मेरी बहन हमलोगों से अपने पति व ससुराल वालों का शिकायत कभी नहीं की थी। अभियोजन साक्षी संख्या–2 पक्षद्रोही घोषित किये गये है तथा इन्होंने अपने साक्ष्य के पैरा–4 में मृतिका की मृत्यु ईलाज के क्रम में हो जाना बताया है। अभियोजन साक्षी संख्या–3 बताते है कि मृतिका को टी.बी. की बीमारी थी तथा ईलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन साक्षी संख्या–4 भी यह कथन करते हैं कि मृतिका को टी.बी. की बीमारी थी तथा ईलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन साक्षी संख्या–5 घटना के बारे में जानकारी होने तथा पुलिस के समक्ष बयान देने की बात से इंकार किये है तथा पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। अभियोजन इस प्रकरण के चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता को साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

12. उपरोक्त विवेचना, तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साक्ष्य द्वारा साबित करने में असफल रहा है। फलतः

–:आदेशः–

प्रस्तुत वाद के अभियुक्तगण अमरेन्द्र कुमार जयसवाल, जितेन्द्र कुमार जयसवाल, गुड़िया देवी और भगवती देवी उर्फ भागीरनी देवी को उसके विरूद्ध आरोपित आरोप की धारा 304बी, 302, 34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत साक्ष्य के आभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः अभियुक्तगण को उनके प्रतिभूओं के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि द0प्र0सं0 की धारा 365 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय की प्रति को जिला दण्डाधिकारी बेतिया, पश्चिम चम्पारण को प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, दिनांकित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं संशोधित

Sd/-

(रवि रंजन)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–19.03.2026

लेखापित

Sd/-

(रवि रंजन)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–19.03.2026

फार्म – सी

अभियोजन पक्ष / बचाव पक्ष / न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची

अ. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :–

क्र.सं.	**नाम**	**प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)**
अ.सा. 1	सत्येन्द्र कुमार	सूचक
अ.सा. 2	गीता देवी उर्फ जीतन मुस्मात	अन्य साक्षी
अ.सा. 3	मुन्ना राम	अन्य साक्षी
अ.सा. 4	अजय कुमार गुप्ता उर्फ अजय कुमार प्रसाद	अन्य साक्षी
अ.सा. 5	मो0 मुस्ताक	अन्य साक्षी

ब. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	**नाम**	**प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)**
ब.प.सा. 1	कोई नहीं	

स. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	**नाम**	**प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)**
न्या.सा. 1	कोई नहीं	

<u>अभियोजन पक्ष / बचाव पक्ष / न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची</u>

अ. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :–

क्र.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
1.	पी.ई.एक्स. 1	लिखित आवेदन पर अ0सा0 1 के हस्ताक्षर को

ब. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
1.	कोई नहीं	

स. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
	कोई नहीं	

द. वस्तु प्रदर्श की सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	**प्रदर्श संख्या**	**वर्णन**
	कोई नहीं	

Sd/-

(रवि रंजन)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–19.03.2026

Sd/-

(रवि रंजन)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–19.03.2026

Date of Judgment/Order	19.03.2026
Date of Reserving Judgment/Order	12.03.2026
Uploading Date	07.04.2026
Uploaded by	Sri Rajeev Kumar, DWTC